भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1242

(09 फरवरी, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

हरियाणा में सड़कों का उन्नयन

1242. सुश्री सुनीता दुग्गल:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़कों की गारंटी अवधि की मियाद समाप्ति के उपरांत इनका उन्नयन करने के संबंध में सरकार की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करने के लिए हरियाणा में जिला-वार कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत हरियाणा में ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए ऐसे प्रस्तावों की जिला-वार संख्या कितनी है, जो सरकार के पास लंबित है; और

(.) उक्त लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): सरकार ने ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से कोर नेटवर्क में निर्धारित जनसंख्या आकार वाली (2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक तथा पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक) सड़क से न जुड़ी पात्र बसावटों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए विशेष पहल के रूप में दिसंबर, 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) शुरू की थी। वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित ब्लॉकों में (गृह मंत्रालय द्वारा की गई पहचान के अनुसार) 100 व्यक्ति और इससे अधिक जनसंख्या (2001 की जनगणना) वाली बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई है। इस योजना में उन जिलों में मौजूदा ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करने का घटक भी है जिनमें निर्धारित जनसंख्या आकार वाली सभी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध करा दिया गया है।

योजना के उद्देश्य में कुछ समय पश्चात विस्तार किया गया और नई पहल पीएमजीएसवाई-।। की शुरूआत की गई है जिसका लक्ष्य 50,000 कि.मी. के मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क का उन्नयन करना है ताकि लोगों, माल और सेवाओं के लिए परिवहन सेवाओं के प्रदाता के रूप में इसकी समग्र दक्षता में सुधार किया जा सके और बसावटों को अन्य के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ने वाले 1,25,000 कि.मी. के थ्रू-रूट और प्रमुख ग्रामीण सड़क मार्गों को समेकित करने के लिए पीएमजीएसवाई-।।। की शुरूआत की गई है।

मानक बोली दस्तावेज के अनुसार, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनाई गई सभी सड़कों के शुरुआती पांच वर्ष के रखरखाव का करार उसी ठेकेदार के साथ किया जाता है जिस ठेकेदार के साथ सड़क निर्माण का करार किया जाता है। पांच वर्षों के बाद भी सड़कों का रखरखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यह सीमित है और नियमित अंतराल पर नहीं होता है।

(ग): पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए निधियां मंत्रालय द्वारा राज्य को समग्र रूप से जारी की जाती हैं। जिले के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं और व्यय योजना के आधार पर संबंधित राज्य द्वारा आगे जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) को निधियां जारी की जाती हैं। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पीएमजीएसवाई-। और पीएमजीएसवाई-।। के सभी कार्य वास्तविक तथा वित्तीय रूप से पूरे कर लिए गए हैं। हरियाणा राज्य में पीएमजीएसवाई-। और पीएमजीएसवाई-।। के अंतर्गत सड़कों के उन्न्यन के लिए जिले-वार किया गया व्यय क्रमश: **अनुबंध-।** और **अनुबंध-।।** में दिया गया है।

राज्य को पीएमजीएसवाई-।।। के अंतर्गत 2,500 कि.मी. लंबी सड़क बनाने का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 383.58 करोड़ रु. मूल्य की 688.94 कि.मी. सड़क पहले ही स्वीकृत कर दी गई है। स्वीकृत सड़क लंबाई और परियोजना के मूल्य का जिले-वार ब्यौरा **अनुबंध-।।।** में दिया गया है।

(घ) और (.): हरियाणा राज्य ने पीएमजीएसवाई-।।। के अंतर्गत 554.68 करोड़ रु. मूल्य की 1,217.05 कि.मी. की अतिरिक्त सड़क की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव का जिले-वार ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है। दिनांक 27 जनवरी, 2021 को आयोजित बैठक में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया गया। इस प्रस्ताव की स्वीकृति अधिकार प्राप्त समिति की टिप्पणियों का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन किए जाने पर निर्भर करेगी।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 09.02.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 1242 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

ीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए किया गया व्यय

क्र.सं.	जिले का नाम	किया गया व्यय (रु. करोड़ में)
1	अंबाला	53.10
2	भिवानी	57.88
3	चरखी दादरी	34.54
4	फरीदाबाद	26.85
5	फतेहाबाद	59.35
6	गुड़गाँव	33.89
7	हिसार	70.15
8	झज्जर	107.69
9	जींद	87.73
10	कैथल	91.55
11	करनाल	61.56
12	कुरुक्षेत्र	81.84
13	मेवात	47.77
14	मोहिंदरगढ़	64.33
15	पलवल	31.62
16	पंचकूला	19.15
17	पानीपत	82.91
18	रेवाड़ी	70.50
19	रोहतक	93.24
20	सिरसा	72.96
21	सोनीपत	78.75
22	यमुनानगर	66.20
कुल		**1393.56**

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 09.02.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 1242 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

ीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए किया गया व्यय

क्र.सं.	जिले का नाम	किया गया व्यय (रु. करोड़ में)
1	अंबाला	45.03
2	भिवानी	3.96
3	चरखी दादरी	14.66
4	गुड़गाँव	18.20
5	हिसार	18.71
6	झज्जर	116.85
7	जींद	105.54
8	कैथल	28.86
9	करनाल	86.49
10	कुरुक्षेत्र	25.39
11	मेवात	15.75
12	पलवल	44.91
13	पंचकुला	3.92
14	पानीपत	22.92
15	रेवाड़ी	18.72
16	रोहतक	9.45
17	सिरसा	56.34
18	सोनीपत	124.74
19	यमुनानगर	47.30
कुल		**807.74**

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 09.02.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 1242 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

□ीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत स्वीकृत सड़क लंबाई और □रियोजना के मूल्य का जिला-वार ब्यौरा

			(लंबाई कि.मी. में और रु. करोड़ में)
क्र.सं.	**जिले का नाम**	**□ीएमजीएसवाई-III**	
		लंबाई	**कुल मूल्य**
1	चरखी दादरी	108.69	62.57
2	झज्जर	73.76	47.88
3	जींद	117.27	63.29
4	करनाल	36.88	18.47
5	मेवात	78.29	51.34
6	रोहतक	104.02	40.58
7	सिरसा	131.30	84.93
8	यमुनानगर	38.74	14.53
कुल		**688.94**	**383.58**

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 09.02.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 1242 के उत्तर के भाग (घ) और (.) में उल्लिखित अनुबंध

हरियाणा राज्य द्वारा प्रस्तावित सड़क लंबाई और प्रस्तुत रियोजना प्रस्ताव के मूल्य का जिले-वार ब्यौरा

(लंबाई कि.मी. में और रु. करोड़ में)

क्र.सं.	जिले का नाम	लंबाई	मूल्य
1	अंबाला	77.26	30.12
2	भिवानी	193.76	72.40
3	फरीदाबाद	11.77	5.40
4	फतेहाबाद	188.23	74.80
5	हिसार	142.27	66.91
6	जींद	30.56	21.45
7	कैथल	61.55	33.82
8	कुरुक्षेत्र	72.82	27.79
9	मोहिंदरगढ़	7.25	3.97
10	पलवल	105.82	48.83
11	पानीपत	80.70	42.36
12	रोहतक	49.91	21.10
13	सिरसा	88.04	56.34
14	सोनीपत	107.11	49.39
कुल		**1217.05**	**554.68**